(वाद सं0.3816/4/23/2022)

06.11.2023

प्रसंगाधीन मामला, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत परिवादी, बंसत दास, के गांव के कुछ लोगो द्वारा उसके जमीन को कब्जा करने , उसकी पत्नी के साथ गाली–गलौज, मार–पीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी, मुजफ्फरपुर** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " **परिवादी एवं द्वितीय पक्ष के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर आवेदक द्वारा आयोग एवं वरीय पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिये जाने की बात आवेदक द्वारा बताया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि बीते एक वर्ष से किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं हुआ है। फिर भी थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है ।**

उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की मांग की गई कि अगर उनकी ओर से वांछित प्रत्युत्तर ससमय नहीं दिया जाता है तो उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन पर परिवादी से मांगा गया प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में भूमि विवाद के आलोक में पुलिस द्वारा थाना स्तर से निगरानी रखी जा रही है तथा उभय पक्ष के द्वारा एक वर्ष से किसी प्रकार की कोई विवाद प्रतिवेदित नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, **वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ–18–17/प0) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव